पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून, शनिवार, 11 दिसंबर 2021 पेज 8

अनशनकारियों के समर्थन में धरना देते यूकेडी कार्यकर्ता।

भविष्य में किसी भी प्रकार का न हो सके भेदभाव

शुभकामनाएं

संवाददाता

देहरादून। प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की।

कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्मिकों ने मंत्री के समक्ष एकीकरण होने की दशा में पदोन्नति पैटर्न, वेतन विसंगति, वेतन बढोत्तरी, वरिष्ठता इत्यादि के सम्बन्ध में आने वाली तकनीकी एवं व्यावहारिक दिक्कतों को साझा करते हुए उन सभी बातों का घ्यान रखने का आग्रह किया, जिससे किसी भी वर्ग और कैडर में कार्मिकों के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो सके।

■ कृषि मंत्री ने की कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के सम्बन्ध में कार्मिकों के साथ बैठक

मंत्री ने इस दौरान दोनो विभागों के एकीकरण के सम्बन्ध में अपर सचिव राम विलास यादव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्य समिति को निर्देशित किया कि एकीकरण की प्रक्रिया में उन सभी बिन्दुओं पर उचित संज्ञान लिया जाय, जिससे एकीकरण के पश्चात विभाग की एक बेहतर व्यवस्था बन सके तथा कृषक और कास्तकारों के कल्याण हेतु विभाग अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर पाये। उन्होने कहा कि हमारी मूल प्रथामिकता किसानों और कास्तकारों के कल्याण के साथ ही प्रदेश की खेती और औद्यानिकी का उत्थान होना चाहिए। इसके लिए विभाग का पैटर्न और ढॉचा इसी अनुरूप प्रभावी बनाया जाय।

मंत्री ने दोनो विभागों के अलग–अलग पैटर्न के संघ और कार्मिकों के एकीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव भी प्राप्त किये तथा सम्बन्धित अधिकारियों को एकीकरण की प्रक्रिया में इन सभी प्रस्तावों पर व्यापक संज्ञान लेते हुए गहनता से इनका परीक्षण करते हुए तेजी से अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये।

सभी कर्मिकों ने मंत्री को कर्मिकों की बातों को घ्यान से सुनने और एकीकरण की प्रक्रिया में जरूरी बिन्दुओं पर संज्ञान लेने के चलते धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर कृषि सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव कृषि राम विलास यादव, निदेशक कृषि गौरीशंकर सहित अन्य अधिकारी, एसोसिएशन के जुडे पदाधिकारी व कार्मिक मौजूद थे।

देवस्थानम एक्ट निरस्त करने को आज पेश होगा विधेयक

सत्र

■ हंगामेदार रहा सत्र का दूसरा दिन, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने किया सदन से वाकआउट

संवाददाता

देहरादून। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाया। पीठ ने इस विषय को नियम 58 की ग्राह्यता पर सुनने की व्यवस्था दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन

के रोजगार से संबंधित प्रश्न पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सदन में रोजगार से संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वह गुमराह करने वाले हैं। इसपर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। वहीं, सदन में आठ विधेयक पेश हुए।

सत्र के दूसरे दिन आज सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक मांगों के अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने समेत आठ विधेयक सदन में पेश होंगे। कृषि कानूनों को रद करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में इसे वापस लिया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक सदन में रखा जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि तीन दिन रखी गई है। फिलहाल दूसरे दिन शुक्रवार के लिए एजेंडा तय किया जा चुका है।

सत्र के आगे की रूपरेखा शुक्रवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय की गई। शनिवार को आमतौर पर अवकाश रहता है। शनिवार को सत्र होने की स्थिति में प्रश्नकाल नहीं होगा। यह दिन किसी भी मंत्री या विभाग के लिए नियत नहीं है। अलबत्ता, सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपनी–अपनी रणनीति तय कर ली हैं।

संक्षिप्त समाचार

सचिवालय के सभी कार्यालय आज खुले रखने के सीएस ने दिए निर्देश

संवाददाता देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा के वर्ष 2021 का सत्र 11 दिसम्बर (शनिवार) को भी आहूत होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त कार्यालय शनिवार 11 दिसम्बर को भी खुले रखने के निर्देश जारी किए हैं।

जिला पंचायत की बैठक 18 दिसंबर को

संवाददाता देहरादून। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून के अवगत कराया है कि 18 दिसंबर को जिला पंचायत की बैठक प्रातः 11:00 बजे से जिला पंचायत सभागार में आहूत की गई है। उन्होंने कहा कि तहसील चौक के पास पंचायत सभागार में 18 दिसंबर को जिला पंचायत की बैठक होगी। इस दौरान पिछली बैठक की कार्यवाही और नियोजन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि होगी और अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान करेगी। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजीव कुमार त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है।

कोविड प्रोटोकॉल के साथ 13 दिसंबर से खुलेगा वन अनुसंधान संस्थान

संवाददाता देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के संग्रहालय एवं परिसर को 13 दिसम्बर से पर्यटकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के साथ पुनः खोला जा रहा है। वर्तमान में कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन केवल 200 आगंतुकों को एफ0आर0आई0 कैम्पस में आगमन की अनुमति होगी। पर्यटक हेतु संग्रहालय प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक खुला रहेगा। केवल ऑनलाइन पंजीकृत पर्यटक ही परिसर/संग्रहालय में प्रवेश कर सकेंगे। सभी पर्यटक अपना पंजीकरण संस्थान की बेवसाइट पर कर सकते हैं। इससे संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। संस्थान में प्रातः एवं सांयकालीन भ्रमणकर्ताओं के लिए परिसर पूर्व की भांति खुले रहेंगे। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।

अस्पताल का अनुबंध निरस्त कराने को उक्रांद पहुंचा मानवाधिकार आयोग

संवाददाता देहरादून। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का अनुबंध निरस्त किए जाने की दरख्वास्त लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अब मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विस्तार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला की बदहाली के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों का हवाला दिया है। इसके कारण यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर बनकर रह गया।

शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने शिथिलीकरण नियमावली–2021 के अन्तर्गत अधिकांश विभागों द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई न किए जाने का संज्ञान लेते हुए समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को कृत कार्रवाई विषयक आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। सभी उच्चाधिकारियों को जारी अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव ने निर्देश किए हैं कि सभी विभाग अपने कार्मिकों को नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र यथा शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उत्तराखंड में जनरल बिपिन रावत के नाम पर स्मारक बनाया जाए

संवाददाता देहरादून। सदस्य केन्द्रीय वक्फ परिषद अध्यक्ष योजना एवं वित्त समिति अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के रईस खान पठान ने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असमायिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पत्र लिखा। उन्होंने जनरल बिपिन रावत के द्वारा जटिल समस्याओं को संभालने की अदम्य क्षमता के साथ साहस, रणनीतिक सोच के प्रतीक रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके छोड़ जाने से एक खालीपन–सा आया है जिसे भरना आसान नहीं होगा। यह राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है लेकिन उत्तराखंड राज्य की देवभूमि के लिए इससे भी अधिक क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास के लिए बहुत योगदान दिया था वह हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राष्ट्र इस महान सैनिक का सदैव ऋणी रहेगा और वह सदैव सबके हृदय में गौरव का स्थान पायेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।